Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 SHISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

आखिर स्त्री–पुरूष असमानता कब तक

डॉ. गीता सिंह
सह. प्राध्यापक अर्थशास्त्र,
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,रीवा, मध्य प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 1

Page Number : 63-66

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Received : 01 Feb 2022
Published : 15 Feb 2022

सारांश – महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून और कानूनी ढ़ाँचे का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है और हिंसा के अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए मजबूत कानून का होना भी अहम है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सामाजिक तथा सांस्कृतिक वैधता और उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून आवश्यक है क्योंकि आज भी महिला पुरूष समानता और नारी शक्ति का विकास और साथ ही परिवारों, समुदायों और राष्ट्रो के कल्याण के लिए अनिवार्य मानते है कोई भी राष्ट्र, समाज और परिवार समृद्ध और खुशहाल नही हो सकता, यदि उनकी आबादी का 50% यानि महिला जनसमूह खुशहाल नही होगी।

मुख्य शब्द – स्त्री,पुरुष, असमानता, हिंसा, कानून, संस्कृति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक।

भारत संस्कृतियाँ का देश है वैदिक काल से महिला सम्मानीय रही है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कारों में उनकी बराबर की भागीदारी रही है भारत का एतिहासिक परिदृश्य देखे तो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक धार्मिक सभी क्षेत्रों मे उच्चतम शिखर पर अपना स्थान बनाया है। उसके बावजूद भारत में स्त्री–पुरूष असमानता वृहद स्तर पर व्याप्त है। हजारों महिलाओं को परिवार के साथ–साथ समाज मे भी व्यापक स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

एक सर्वे के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों की एक तिहाई महिलाओं को अपने जीवनकाल में किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और इस हिंसा को पारिवारिक संरचनाओं, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्पराओं के बहाने संस्थागत रूप दे दिया जाता है और यह व्यापक रूप से महिलाओं पर नियंत्रण बनाने का स्वीकृत तरीका है।

घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा भारत के सभी क्षेत्रों में होती है हिंसा के तरीके अलग–अलग हो सकते हैं किन्तु भारत मे पारिवारिक जीवन के एक वैध हिस्से के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार करते है। परिवार भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण इकाई है और देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के केन्द्र में है बावजूद इसके महिलाओं के लिए परिवार एक सुरक्षित और सुरक्षात्मक इकाई के रूप में नही है बल्कि यह महिला–पुरूष भेदभाव के व्यापक स्वरूप को मजबूत करता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में पाया गया कि भारत मे 15 से 49 वर्ष के आयु के बीच 34 प्रतिशत

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

महिलाओं ने 15 साल की उम्र के बाद और 37 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने हिंसा का सामना किया है। घरेलू हिंसा की जानकारी न दिये जाने के कारण घर के अंदर हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं की वास्तविक संख्या का भी अधिक मानी जाती है महिलाओं के खिलाफ अपराध के 92.9% मामले अदालतो मे लंबित है। भारत में हर साल अंतरंग साथी या रिश्तेदारो द्वारा मारे जाने वाली महिलाओं की संख्या अज्ञात रहती है महिला हिंसा में घरेलू हिंसा एक आम तरीका है घर परिवार द्वारा आत्महत्या के लिए प्ररित करने पर महिलाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या सही मायनो में हत्या है। जिसे परिवार एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आत्महत्या कह कर फाइल बंद कर दी जाती है।

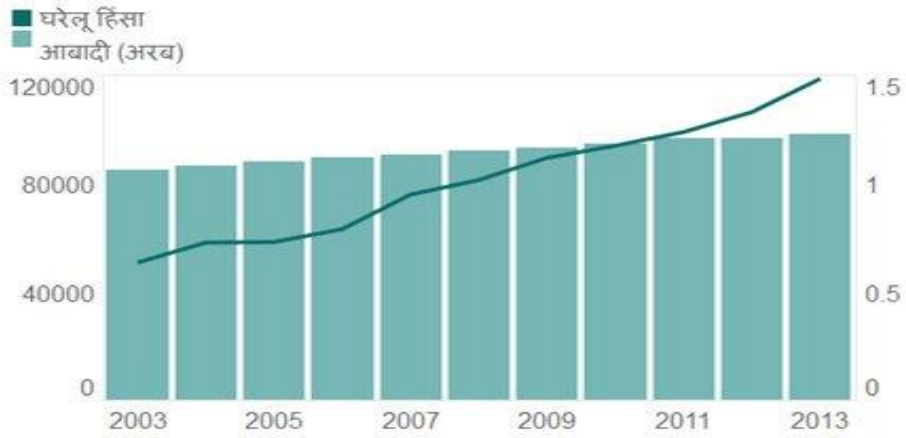

स्रोत: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, भारत

दहेज हत्या :– दहेज प्रथा भी महिलाओं के साथ भेदभाव को मजबूत करती है। और इससे संबंधित अपराध भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दहेज से होने वाली मौतो की संख्या एक वर्ष में 7000 से अधिक है भारतीय संस्कृति में दहेज एक सांस्कृतिक परंपरा थी जिसका मूल उद्देश्य बेटी की विदाई पर उसे उपहार स्वरूप नकद एवं उसकी आवश्यकता की वस्तुएं दी जाती थी जिससे विवाहित जीवन की शुरूआत करने वाले नये जोडो की सहायता हो सके। किंतु आज यह व्यवसाय बन चुका है शिक्षा के विकास के साथ साथ दहेज रूपी महामरी निरंतर फैल रही है भारत मे प्रचलित पितृसत्ता और बढती आर्थिक मांगो ने दहेज को व्यवसायिक लेन देन मे बदल दिया है जो सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित है। महिलाओं के प्रति यह हिंसा तब बढ जाती है जब कोई परिवार ष्शादी के बाद बडे दहेज की मांग करता है या उन्हे मिले दहेज से असंतुष्टि दिखाता है हालांकि दहेज अवैध है फिर भी पूरे देश मे प्रचलित है और महिलाये लगातार इस हिंसा को झेल रही है। दहेज हिंसा के आकड़े विवाह के साथ महिलाओं की उम्र, शिक्षा का स्तर एवं दूर संचार के माध्यमों पर निर्भर है और पिछडे राज्यों में इन सभी संसाधनों का अभाव है जिससे उन राज्यों में दहेज मृत्यु दर अधिक होती है।

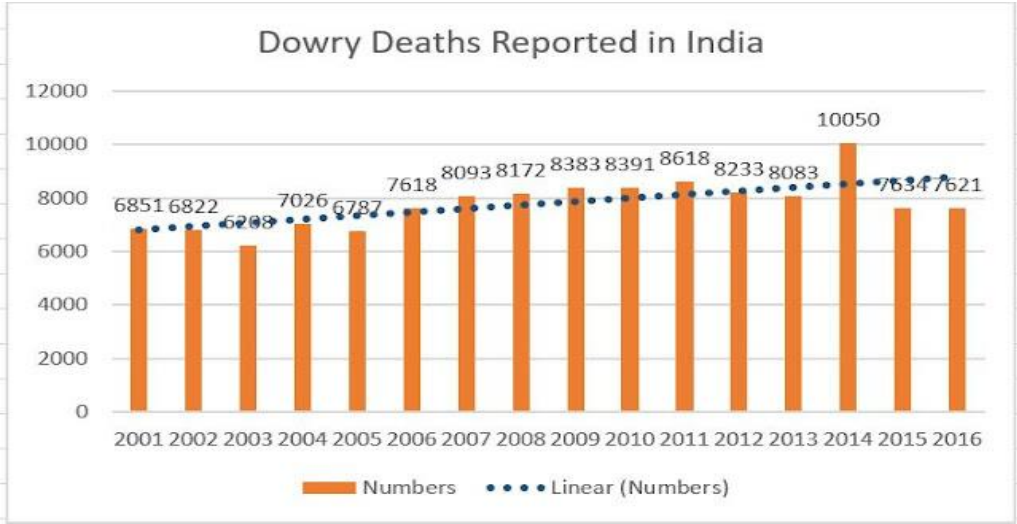

लिंग चयनात्मक गर्भपात :– समूचे भारत में कन्या भ्रूण हत्या, पितृसत्ता और कुप्रथा की सोभा को उजागर करती है किसी भी कुप्रथा को रोकने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किंतु भारत में साक्षरता स्तर 2011 के अनुसार पुरूष में 85 प्रतिशत और महिलाओं में 65 प्रतिशत होने के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या कम होने के बजाय बढी ही है। जनगणना 2011 के अनुसार छह साल तक की अबादी में एक हजार लडकों के मुकाबले सिर्फ 914 ही है ये तस्वीरे चिंताजनक होने के साथ ही विद्रूव सामाजिक स्थिति की गवाह है ये उस बात की ओर स्पष्ट संकेत करती है जहां स्त्री को दोयम दर्जे का समझा जाता है, आखिर गर्भ में ही बच्चियों को मार देने की घटनायें क्यो बढ रही है? स्त्री को जन्म लेने के पहले से लेकर मृत्यु पर्यत क्यों कष्ट सहने पर मजबूर किया जाता है स्त्री अधिकार, स्त्री सशक्तिकरण की बात करने तक अपनी वास्तविक जिंदगी में स्त्री के प्रति अनुदार रवैया अपनाते है। सही ये होगा कि समाज अपनी मनोदशा में शीघ्र ही परिवर्तन कर ले अन्यथा कही ऐसा न हो कि विकास की दौड अधूरी रह जाए।

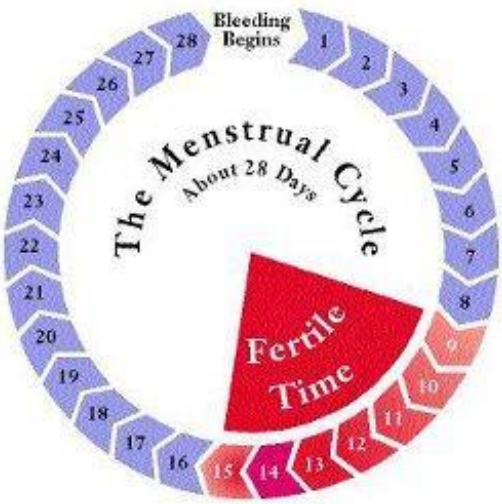

भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति हिंसा तथा स्त्री हत्या को रोकने और पुरूषों तथा महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए प्रयास किये जा रहे है। नये कानूनो और नीतियों के साथ साथ कानून लागू करने वाली ऐंजेंसियों और प्रबुद्ध समाज समूहों के बढते सहयोग से हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले में सहायता लेने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है इसकें अलावा कानून के कार्यन्वयन में सुधार के प्रयास किये जा रहे है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 में विवाह के लिए पूर्व ष्शर्त के रूप में दहेज मांगने और देने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है किंतु क्या कानून बनने के बाद दहेज प्रथा जैसी सामाजिक महामारी रूकी नही और निरंतर बढती जा रही है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी.सी/पी.एन.डी.टी.) अधिनियम 1994 भ्रूण लिंग निर्धारण करने के लिए प्रसव पूर्व तकनीको के उपयोग पर रोक लगाता है इसके बावजूद प्रसव पूर्व लिंग जांच एवं भ्रूण हत्या अनवरत जारी है।

देश भर में कई गैर सरकारी संगठन महिलाओं के लिए परामर्श, कानूनी सहायता और अजीविका कार्यक्रम चलाते है ताकि वे अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। यह महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढावा देने के लिए सरकार की पहल के सामांनांतर है भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं कों 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण से इनके राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है गोवा में आधी सीट आरक्षित है।

इन प्रयासों के बावजूद स्त्री पुरूष असमानता तथा स्त्री हत्या निरंतर जारी है महिलाओं के खिलाफ हिंसा सामाजिक तथा सांस्कृतिक वैधता और उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कानून आवश्यक है हांलाकि केवल कानून बनाना पर्याप्त नही है।

महिलाओं के हित में कानून प्रतीकात्मकता से आगे बढे और प्रभावी ढंग से लागू किये जाये। महिलाओं कें साथ भेदभाव को देखते हुए स्त्री हत्या को रोकना बेहद मुश्किल है, वास्तव में महिलाओं के प्रति हिंसा भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में अंतर्निहित है, स्त्री–पुरूष असमानता के प्रति प्रतिक्रिया व्यापक स्तर पर होनी चाहिए और मजबूत कानून, लिंग संवेदनशील कानून प्रवर्तन नीतियों तथा प्रोटोकॉल का विकास और कार्यन्वयन, जमीनी स्तर पर जागरूकता, हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और परिवारों की सहायता और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार दिये जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ –

1. महिला अधिकारिता : एक विश्लेषण : ऋतु सारस्वत, योजना अक्टूबर 2007 पृ.क्र. 127।
2. स्त्रियों : नया दौर और नयी हकीकत : डॉ. क्षम शर्मा, मनोरमा इयर बुक 2007।
3. इण्डिया टुडे 23 अगस्त 2006 नई दिल्ली पृ. 25।
4. महिला विकास : एक परिदृश्य : स्वप्निल सारस्वत नयन प्रकाशन नई दिल्ली।